

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
ओ0टी0एस0 परिसर के पास, झालाना लिंक रोड, जे0एल0एन0 मार्ग,
जयपुर (फोन एवं फैक्स न. 0141-2719136)

क्रमांक प. 6()/रा.सू.आ./संस्था./2020/एसपी-1

दिनांक: 26-09-2020

कार्यालय आदेश

आयोग के कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना के मध्यनजर सुरक्षा की दृष्टि से आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 2208-14 दिनांक 21.09.2020 की निरन्तरता में आयोग के चारों न्यायालयों की सुनवाई दिनांक 01.10.2020 तक स्थगित की जाती हैं। इस दौरान जीवन स्वतंत्रता से जुड़े मामलों तथा अन्य अर्जेंट मामलों की सुनवाई संबंधित कोर्ट द्वारा व्हाट्स एप (मोबाईल नं. 9799996116) पर की जायेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

—sd—

(राधे प्रताप सिंह)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त।
- 2 निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त—द्वितीय/तृतीय।
- 3 रजिस्ट्रार, राजस्थान, सूचना आयोग।
- 4 प्रोग्रामर, सूचना आयोग।
- 5 नोटिस बोर्ड।
- 5 गार्ड पत्रावली



सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर